प्रेस नोट / सराहनीय कार्य- *(पत्रांक-245/2023 दिनांक 03.09.2023)* *दिनांक-03.09.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरूद्ध की गयी कुल कार्यवाही-04

थाना तरयासुजान-


थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त गोरख कुमार पुत्र राधारी साह साकिन तरया लक्षीराम थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 21 केन बीयर बरामद कर मु0अ0सं0 277/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना हनुमानगंज-

थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1.निरंजन यादव पुत्र स्व0 हिरामन यादव सािकन बािलमकी नगर थाना लौकरिया जनपद पिश्चिम चम्पारण बिहार व 2. विजय भारती पुत्र रामा भारती निवासी मंशाछापर थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 38 पाऊच बंटी बब्ली फ्रूटी की बरामदगी कर मु0अ0सं0 137/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 138/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना को0 पडरौना-

थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजू कुशवाहा पुत्र स्व0 रामचन्द्र सािकन बबुइया हरपुर काटा टोला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 48 पाउच देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0 823/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा सामूहिक दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित 15,000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा तिनफेड़िया रेलवे स्टेशन के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2023 धारा 376D,506भादवि व 5/6 पास्को एक्ट व 67 आई टी एक्ट से संबंधित 15,000/- रूपये के इनामिया वांछित अभियुक्त अनुज राय पुत्र अरविन्द राय निवासी दनियाडी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग-


मु0अ0सं0 239/2023 धारा 376D,506भादवि0 व 5/6 पास्को एक्ट व 67 आई टी एक्ट थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनुज राय पुत्र अरविन्द राय निवासी दनियाडी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 आदित्य मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3. का0 रवि साहनी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4. का0 अवधेश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर



थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित कुल 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

- 1. मु0नं0 680/16 धारा 323,504,506 IPC
- 2. मु0नं0 110/22 धारा 308 IPC
- 3. मु0नं0 1333/05 धारा 41,411,413,419,420 IPC
- 4. मु0नं0 3488/14 धारा 323,504,506 IPC

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1. टुनटुन पुत्र इंद्रदेव साकिन भावपुर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2. सुभाष यादव पुत्र नंद देव यादव सा0 बैजूपट्टी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3. मीर हसन पुत्र अली शेर सा0 गोड़ाईता श्री राम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4. मोतीचंद पुत्र गोपाल चौहान निवासी रामपुर बंगरा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5. लख्मीचंद पुत्र गोपाल चौहान निवासी रामपुर बंगरा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 आदित्य मोर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3. उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4. का0 अश्वनी यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5- कांस्टेबल रविकांत यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 6- कांस्टेबल वीरेंद्र हिंह थनिएतरया/सुजाने जनिषद कुशितसर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा वाद संख्या 983/2020 धारा 128 सीआरपीसी से सम्बन्धित वारण्टी विकास कुमार गौतम पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम नरायनपुर कोठी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

वाद संख्या 983/2020 धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तार वारण्टी-

विकास कुमार गौतम पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम नरायनपुर कोठी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाले टीम-

- 01. प्र0नि0 श्री चन्द्रभूषण प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
- 02. उ0नि0 श्री कैलाश प्रसाद थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
- 03. हे0का0 हसीब खान थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा चोरी की सामान के साथ 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 372/2023 धारा 457/380/411भादवि0 से सम्बन्धित दो नफर वांछित अभियुक्तों को चोरी की एक अदद मोबाइल टेक्नो कंपनी व एक जोड़ी पायल व एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यबाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 372/2023 धारा 457/380/411भादवि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- पवन पुत्र मुबारक निवासी बभनौली थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 2- संजय पुत्र फेंकू निवासी खीरिया टोला पड़रौना थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

- 1. चोरी की एक अदद मोबाइल टेक्नो कम्पनी
- 2. एक जोड़ी पायल व एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु का

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 01. प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 02. उ0नि0 श्री विनायक यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 03. का0 अनिल यादव प्रथम थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 04. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा वध हेतु ले जाये जा रहे 01 राशि गोवंश के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गोवंश की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा गोवध के लिए ले जाये जा रहे एक बछड़े के साथ दो अभियुक्तों को चापड़ व रस्सी के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 373/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

Edit with WPS Office

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 373/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 01. महबुब अली पुत्र अली असगर साकिन बसईया बनबीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 02. भागवत यादव उर्फ बँउक पुत्र कोलाई साकिन बोधी छपरा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

एक राशि गोवंशीय पशु बछड़ा तथा रस्सी व एक अदद चापड़

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 01. प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 02. उ0नि0 श्री रामनरेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 03. हे0का0 रियाज खां थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 04. का0 राजेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/2023 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को सकुशल बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 322/2023 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

सूरज राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी सिरसिया कला थाना थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 01. प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 02. उ0नि0 श्री रामेश्वर यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 03. का0 परमेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 04. म0का0 रेखा कुमारी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा एक अदद चोरी की साइकिल के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-


श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र राममूरत सािकन मोहम्मदपुर थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अदद चोरी की साइकिल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 395/2023 धारा 41/411 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

बबलू पुत्र राममूरत साकिन मोहम्मदपुर थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज



बरामदगी का विवरण-

एक अदद चोरी की साइकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1. प्र0नि0 श्री विनय कुमार सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 श्री रविकान्त कुमार सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 3. का0 आशीष सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 4. का0 रमाकान्त गौतम थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को मय आलाकत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार-


श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा ग्राम रामपुर बुजुर्ग भट्ठे के पास से मु0अ0सं0 562/2023 धारा 323/504/506/342/302/34 भादवि0 से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डण्डे की बरामदगी करते हुए अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 562/2023 धारा 323/504/506/342/302/34 भादवि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1. दिवाकर मिश्रा पुत्र छेदी मिश्रा साकिन मठिया मिश्र थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2. विजय शंकर मिश्रा उर्फ सोनू मिश्रा पुत्र छेदी मिश्रा साकिन मठिया मिश्र थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर



बरामदगी का विवरण:-

घटना मे प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल डण्डा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. प्र0नि0 श्री निर्भय कुमार थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2. का0 सुनील यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 3. का0 विपिन पाण्डेंय थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 4. का0 सचिन यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 296/2023 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 296/2023 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजबहादुर पुत्र स्व0 कैलाशपति चौहान साकिन करमही थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रताप चौधरी थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 2. का0 सुजीत यादव थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
- 3. का0 इन्द्रकेश थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर



थाना तरया सुजान पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2022 से 2023 तक कुल 92 मुकदमों में बरामद अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब आदि कुल 4326 लीटर (कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने- अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेत् निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक तरया सुजान द्वारा थाना तरया सुजान पर वर्ष 2022 से 2023 तक कुल 92 मुकदमों में 4326 लीटर बरामद अवैध शराब को नष्ट कराने का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2023 को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा, अभियोजन अधि0 श्री शशिकांत , प्र0नि0 अमित शर्मा मय टीम की उपस्थिति में थाना परिसर में गड्ढा खुदवा कर माल को जे0सी0बी0 के माध्यम से कुल 92 मुकदमें में कुल 4326 लीटर अवैध शराब (अंग्रेजी,देशी,कच्ची इत्यादि) को गढ्डे में डलवाकर ऊपर से मिट्टी डालकर नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 92 मुकदमा, तथा 4326 ली0 शराब कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

- 1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा जनपद कुशीनगर
- 2. श्रीमान शशिकांत अभियोजन अधिकारी पड़रौना जनपद कुशीनगर
- 3. श्री अमित शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4. श्री श्यामलाल निषाद वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5. हे0मो0 सुचित कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 6. कांस्टेबल मोहर्रिर अखण्ड प्रताप सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 7. न्यायालय पैरोंकर विनम् गुप्ता थांना तर्या सुजान जंनपद कुशीनगर
- 8. न्यायालय पैरोंकार विपुल गौड़ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

9. का0मु0 सुनील यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर 10. का0मु0 अभिनव कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2022 से 2023 तक कुल 24 मुकदमों में 2260 लीटर बन्टी बबली व कच्ची शराब 90 लीटर कुल 2350 लीटर (कुल कीमत लगभग 66,000/-रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेत् निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश राय अहिरौली बाजार द्वारा थाना अहिरौली बाजार पर वर्ष 2022 मे 19 मुकमदे व वर्ष 2023 मे 5 मुकदमे कुल 24 मुकदमों में 2260 लीटर बन्टी बबली व कच्ची शराब 90 लीटर कुल 2350 लीटर करीब अवैध शराब को नष्ट कराने का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03/09/2023 को पर्यवेक्षण अधिकारी श्री कुन्दन सिंह क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर व सहायक अभियोजन अधिकारी, प्रधानलिपिक कार्यालय सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया कुशीनगर व श्री प्रकाश राय थानाध्यक्ष व अन्य उ0नि0/विवेचकगण , उ0नि0 ओमप्रकाश यादव ,उ0नि0 प्रेमचन्द राम, हे0मो0 वीरेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर व समस्त कार्यालय स्टाफ की उपस्थिति में थाना परिसर में गहूँ। खुदवा कर माल को जे0सी0बी0 के माध्यम से कुल 24 मुकदमें में कुल 2350 लीटर अवैध शराब (देशी,कच्ची इत्यादि) को गढ्डे में डलवाकर ऊपर से मिट्टी डालकर नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 24 मुकदमा तथा 2350 ली0 शराब कुल कीमत लगभग 66,000/- रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

1- श्री धर्मनाथ बिन्द सहायक अभियोजन अधिकारी जनपद कुशीनगर

2- श्री अमित्र कुमरितां श्रीबांस्तव Wकिर्धालियां टिसिविल जज (सी0डि0)/ए०सी0जे0एम कसया कुशीनगर

- 3- श्री प्रकाश राय थानाध्यक्ष थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 4- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 5- उ0नि0 श्री प्रेमचन्द राम थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 6- उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 7- हे0मो0 वीरेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद बैटरी के साथ एक नफर अभ्यस्त/शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार-


श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को कोतवाली पड़रौना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 830/23 धारा 379,411 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त इस्तियाक खान पुत्र इम्तियाज खान निवासी छावनी घोसी टोला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को चोरी की एक अदद बैटरी के साथ बलुचहा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के उपरान्त अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास:-

- 1. मु0अ0सं0 830/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 2. मु0अ0सं0 110/2023 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 3. मु0अ0सं0 99/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

इस्तियाक खान पुत्र इम्तियाज खान निवासी छावनी घोसी टोला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर



बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद ट्रक की बैटरी EXCIDE CO.

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

- 1. प्र0नि0 श्री राज प्रकाश सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 श्री आकाशदीप शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 3. का0 जयन्त पाठक थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 4. का0 रोहित यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 33 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00 वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-35 व्यक्ति-103
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(17)
- 4- अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरूद्ध की गयी कुल कार्यवाही-04
- 5- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-54)

सोशल मीडिया सेल *जनपद कुशीनगर*

